(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1895–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर जिला रतलाम, प्रकरण कमांक 06/अपील/2015–16.

.....

ताहिर खान पिता श्री इब्राहीम खान
निवासी जमातखाना के सामने
शैरानीपुरा रतलाम म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

मिड इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0
द्वारा प्राधिकृत वादकर्ता :–
मुकेश मीणा पिता नाथूलालजी मीणा,
निवासी मिडटाउन प्रतापनगर
जिला रतलाम

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 14/9/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–8–15 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 3–11–2015 को लगभग एक माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक प्रकरण कमांक 06/अपील/15–16 दर्ज कर दिनांक 3–5–16 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम व आलोच्य प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, क्योंकि अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सहायता नहीं चाहे जाने पर भी सहायता प्रदान करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील लगभग एक माह विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और अनावेदक को वादग्रस्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने में एक माह का समय लगा है । यदि सत्यप्रतिलिपि मिलने में लगे समय को कम कर दिया जाता है तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में प्रस्तुत हुई । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । जहॉ तक कलेक्टर को पक्षकार

बनाये जाने का प्रश्न है इस बिन्दु पर अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष निर्णय होना है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर